

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :- प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 52/2018 (राजसमन्द डिकी)

1. भंवरसिंह पिता हजारीसिंह जी रावत, निवासी नयाघर बावडी, उदामाना का कोट, भीम, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
2. विजयसिंह पिता जोधसिंह जी रावत, निवासी नयाघर बावडी, उदामाना का कोट, भीम, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
3. श्रीमती जमनी पत्नी लक्ष्मणसिंह जी रावत, निवासी नयाघर बावडी, उदामाना का कोट, भीम, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
4. श्रीमती गंगा देवी पुत्री लक्ष्मणसिंह जी रावत, निवासी नयाघर बावडी, उदामाना का कोट, भीम, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
5. श्रीमती चम्पली पुत्री लक्ष्मणसिंह जी रावत, निवासी नयाघर बावडी, उदामाना का कोट, भीम, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
6. श्रीमती ख्याली बाई पुत्री लक्ष्मणसिंह जी रावत, निवासी नयाघर बावडी, उदामाना का कोट, भीम, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
7. मोहनसिंह पिता लक्ष्मणसिंह जी रावत, निवासी नयाघर बावडी, उदामाना का कोट, भीम, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
8. श्रीमती संतोष देवी पत्नी किशनसिंह जी रावत, निवासी जाल की तलाई-मालातों की वैर, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर हाल निवासी भीम जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. श्रीमती गुलाबी देवी पत्नी डाऊसिंह जी रावत, निवासी नयाघर बावडी, उदामाना का कोट, भीम, तह. भीम, जिला राजसमन्द (मृतक) नाम तर्क
2. मिठूसिंह पिता डाऊसिंह जी रावत, निवासी नयाघर बावडी, उदामाना का कोट, भीम, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोंडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान

काश्त0 अधि0-1955 विरुद्ध निर्णय

एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, भीम

दिनांक 23.05.2018, प्र. सं. 27/09

उपस्थित(वक्तबहस)1. श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्तगण

2. श्री बी. एल. डांगी अभिभाषक रेस्पों. सं. 2

-----::-----

निर्णय

दिनांक

26-04-2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अपीलान्तगण के विरुद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा भीम में आराजी नंबर 4037 रकबा 0.02 भूमि स्थित है, जिसके साबिक आराजी नंबर 6176 थे। वादीगण का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार है। उक्त भूमि पहले शामलाती दर्ज होकर वादीगण के मौरूस मोटा जी के कब्जे काश्त में चली आ रही थे तथा उनके बाद वादीगण का कब्जा चला आ रहा है। प्रतिवादीगण 8-10 वर्षों से बाटे पर काश्त करते चले आ रहे थे, किन्तु इस वर्ष फसल देने से मना कर दिया तथा कहा कि यह जमीन हमारे खाते आ गयी है। अतएवं वादीगण को उक्त भूमि का खातेदार घोषित किया जावे एवं कब्जा वादीगण को दिलाया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा भी दिलायी जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखा जाकर अपने निर्णय दिनांक 23-05-2018 से वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्त/प्रतिवादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 14-09-2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त निर्णय अपीलान्ट को बिना सुने पारित किया गया है। विपक्षी संख्या 1 व 2 का इंचमात्र भूमि पर कब्जा नहीं होते हुए भी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वाद डिकी कर दिया गया है, जो नल एण्ड वोइड होने से मयाद का बिन्दु लागू नहीं होता है। दिनांक 04-09-2018 को अपीलान्ट जब पटवारी हल्का से मिला तो उसे कथित निर्णय व डिकी की जानकारी हुई। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

उपरोक्त दफा 5 के आवेदन के खण्डन का जवाब रेस्पोंडेन्ट द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि लोक अदालत की भावना से कैम्प में पक्षकारान की उपस्थिति में उन्हें सुनकर निर्णय पारित किया गया है, पटवारी ने दिनांक 04-09-2018 को जानकारी होने का कथन सर्वथा मिथ्या है। अतएवं अपील मयाद के बिन्दु पर ही खारिज की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन पर उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि राजस्व कैम्प में दिनांक 23-05-2018 को अपीलान्ट/प्रतिवादीगण के उपस्थित होने की कोई साक्ष्य नहीं है, तदनुसार न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्टगण को तलब किया गया, जिस पर रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 की ओर से वकील श्री बी. एल. डांगी उपस्थित हुए। रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 की दौराने कार्यवाही मृत्यु हो जाने से उनका नाम तर्क किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अधिनस्थ न्यायालय ने मरे हुए के खिलाफ डिकी जारी की है, जो नल एवं वोईड होकर बिना अधिकार के है, क्योंकि प्रतिवादी संख्या 2 की मृत्यु 3 वर्ष पूर्व ही हो चुकी थी। कथित भूमि पर अपीलान्ट का

कब्जा होते हुए भी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर रेस्पोंडेन्ट/वादी का वाद डिक्री किया है, जो विधिक प्रावधानों के विपरीत है। अपीलान्ट को सम्मन तामील कराये बिना तथा उसे सुनवाई का अवसर दिये बिना कथित निर्णय पारित किया गया है। अतएवं अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार होना बताया तथा अपील अपीलान्ट मयाद बाहर प्रस्तुत किये जाने एवं सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय में पत्रावली साक्ष्य हेतु नियत थी, किन्तु बिना साक्ष्य लिये वादी की उपस्थिति में राजस्व लोक अदालत में दिनांक 23-05-2018 को वादी/रेस्पोंडेन्ट का वाद डिक्री कर दिया। तदनुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री प्राकृतिक न्याय एवं विधि के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 23-05-2018 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ पतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में पक्षकारान की साक्ष्य लेकर एवं उन्हें सुनवाई का अवसर देकर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 25-06-2019 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफतर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 26-04-2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील
(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.....मुकाम.....
उदयपुर.....
व इजलास प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

सुरेन्द्रसिंह पिता प्रेमसिंह राठौड़, नि० बनाम दलपतसिंह पिता
मनोहरसिंह देवड़ा
बेमला, तह० गिर्वा हाल मकान नं.37 निवासी सिंगावतों का
वाडा, देबारी तह० गिर्वा, जिला उदयपुर
नाकोड़ा नगर 11, धारुजी की बाड़ी व अन्य
बेड़वास, तह० गिर्वा, जिला उदयपुर

अपील नं.....47 / 2018.....व नाराजगी डिगरी अदालतउपखण्ड
अधिकारी.....
.....भीम..... मुकाम.....मुवर्खे.....18.....माह.....07.....
.....2016

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....13.....माह.....03.....सन् 2019 रूबरू.....
पक्षकारान
व हाजरी..श्री ओंकारलाल डांगी..मिनजानिब अपीलान्ट व..श्री महेन्द्र
मेनारिया/राजमल राव

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील
अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का
निर्णय व डिक्री दिनांक 18-07-2016 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये
..... X.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X
अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....13.....माह.....03...
.....2019
को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्त	रु०	पै०	रेस्पॉन्डेन्ट	रु०	पै०
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा .		
4. वकील फीस बाबत मीजान			4. मेहनताना वकील..... मीजान .		
.....				

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।